



राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.)

वादपत्र संख्या 10/2021

बईजलारा - अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी

दायर दिनांक 19.03.2021

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाडा (राज0)।

.....वादी

बनाम्

1. जीतमल पिता भुरा जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
2. सुन्दरलाल पिता भुरा जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
3. भोली पुत्री भुरा जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
4. सुशीला पुत्री भुरा जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
5. रूपी पत्नी स्व. भुरा जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
6. जगदीश पिता कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
7. कस्तूर चन्द पिता कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
8. फूलचन्द पिता कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
9. भागचन्द पिता कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
10. लोकेश पिता कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
11. मोहनी पिता कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
12. अमरी पत्नी स्व. कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
13. मनोज पिता गोपाल जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
14. विमला पुत्री गोपाल जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
15. सन्तोष पत्नी स्व. गोपाल जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित :- 01. पैरोकार तहसीलदार।

02. श्री सुमित जोशी - अधिवक्ता प्रतिवादीगण (प्रतिवादी सं. 11 के अलावा)

03. श्री ओमप्रकाश शर्मा - अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं0 2

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955

:- निर्णय :-

दिनांक :- 27 / 11 / 2025



अदालत में वादपत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने वादपत्र अर्न्तगत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सदाराम जी का खेड़ा पटवार मण्डल गणेशपुरा तहसील

लगातार पेज संख्या 02 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला-भीलवाड़ा

बिजौलियां जिला भीलवाड़ा की आराजी नम्बर 305 रकबा 12-17 बीघा भूमि प्रतिवादीगणों के नाम राजस्व रेकॉर्ड में खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड हैं। उक्त वर्णित आराजी नम्बर 305 रकबा 12-17 बीघा भूमि में खातेदारो की मौके पर रकबा 11-17 बीघा भूमि पर काश्त नहीं हैं। उक्त वर्णित आराजीयात पर प्रतिवादीगणों को मात्र कृषि कार्य हेतु खातेदारी अधिकार प्रदत्त था। प्रतिवादीगणों द्वारा 11-17 बीघा भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया जाकर प्रतिवादीगणों ने खातेदारी अधिकार की शर्तो की पालना नहीं कर आराजी नम्बर 305 रकबा 12-17 बीघा भूमि में से 11-17 बीघा भूमि पर अवैध खनन किया है।

अतः प्रतिवादीगणों की उक्त ग्राम सदाराम जी का खेड़ा की आराजी नम्बर 305 रकबा 12-17 बीघा भूमि में से 11-17 बीघा भूमि को बिलानाम सरकार दर्ज करना फरमावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को नोटिस जारी किया गया। नोटिस बाद तामील प्राप्त हुये जो शामिल पत्रावली हैं। विपक्षीगण सं. 2 की ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश शर्मा ने अधिकार पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं।

अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं. 2 की ओर से अधिवक्ता ओमप्रकाश शर्मा ने प्रस्तुत वादपत्र का जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली हैं।

वादी ने दस्तावेजी साक्ष्य में मौका पर्चा ग्राम सदाराम जी का खेड़ा का प्रस्तुत किया जो प्रदर्श-1 हैं, जमाबन्दी ग्राम सदाराम जी का खेड़ा का पेश किया जो प्रदर्श-2 हैं, नक्शा ट्रेस ग्राम सदाराम जी का खेड़ा का पेश किया जो प्रदर्श-3 हैं, पटवारी हल्का गणेशपुरा का तहसीलदार बिजौलियां को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश किया जो प्रदर्श-4 हैं की प्रतियां प्रस्तुत की हैं।

प्रकरण में वादी ने पी-डब्ल्यू- 1 अशोक प्रजापत पिता सुगनलाल पटवारी प0ह0 गणेशपुरा एवं पी-डब्ल्यू-2 प्रभुलाल पिता रामलाल धाकड़ पेशा भूअ.नि. उमाजी का खेड़ा के बयान कराये गये जो शामिल पत्रावली हैं।

पी-डब्ल्यू-1 अशोक प्रजापत पिता सुगनलाल पटवारी प0ह0 गणेशपुरा ने अपने बयान में लिखाया कि ग्राम सदाराम जी का खेड़ा की आराजी नम्बर 305 में अवैध खनन की कार्यवाही होने से दिनांक 17.03.2021 को भूअ.नि. महो0 के साथ पहुंचकर अवैध खनन का मौका पर्चा बनाया गया। जो उक्तानुसार प्रदर्श होकर उस पर मेरे हस्ताक्षर हैं।



लगातार पेज संख्या 03 पर

उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा



राजस्थान सरकार

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी - बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)
बईजलास - अजीत सिंह राठौड़ (आर.ए.एस) उपखण्ड अधिकारी

वादपत्र संख्या 10 / 2021

दायर दिनांक 19.03.2021

अनवान्

राजस्थान सरकार भूमिधारी जरिये तहसीलदार बिजौलियां, जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.....डिक्रीदार

बनाम्

1. जीतमल पिता भुरा जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
2. सुन्दरलाल पिता भुरा जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
3. भोली पुत्री भुरा जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
4. सुशीला पुत्री भुरा जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
5. रूपी पत्नी स्व. भुरा जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
6. जगदीश पिता कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
7. कस्तूर चन्द पिता कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
8. फूलचन्द पिता कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
9. भागचन्द पिता कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
10. लोकेश पिता कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
11. मोहनी पिता कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
12. अमरी पत्नी स्व. कालु जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
13. मनोज पिता गोपाल जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
14. विमला पुत्री गोपाल जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां
15. सन्तोष पत्नी स्व. गोपाल जाति रेगर निवासी सदाराम जी का खेड़ा तहसील बिजौलियां

..... मदयूनान

उपस्थित :- 01. पैरोकार तहसीलदार।

02. श्री सुमित जोशी - अधिवक्ता प्रतिवादीगण (प्रतिवादी सं. 11 के अलावा)

03. श्री ओमप्रकाश शर्मा - अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं0 2

कार्यवाही अर्न्तगत धारा 177 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955



निर्णय दिनांक : 27 / 11 / 2025

डिक्री दिनांक : 27 / 11 / 2025

पेज संख्या 02 पर

3
उप खण्ड अधिकारी
बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा

:- डिक्री :-

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसल कतई रुबरु न्यायालय आप पक्षकारान पैरोकार सरकार एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण (प्रतिवादी सं. 11 के अलावा) श्री सुमित जोशी, अधिवक्ता प्रतिवादीगण सं० 2 श्री ओमप्रकाश शर्मा के समक्ष डिक्री दी जाती है कि :-

प्रस्तुत वादपत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि मौजा ग्राम सदाराम जी का खेड़ा पटवार मण्डल गणेशपुरा स्थित आराजी नम्बर 305 रकबा 12-17 बीघा भूमि में से 11-17 बीघा भूमि से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 का नाम राजस्व रेकॉर्ड से हटाया जाकर उक्त भूमि को पत्रावली में उपलब्ध नक्शा ट्रेस अनुसार बिलानाम सरकार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर पालना न्यायालय को शीघ्र भिजवाएं। तहसीलदार बिजौलियां को पालनार्थ तहरीर जारी हो। डिक्री मूर्तिब की गई। खर्चा पक्षकारान स्वयं अपना अपना वहन करें।

नीज Nil मुबलिग Nil

बाबत् Nil खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शहर Nil

फीस दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक Nil का अदा करें।

बसवत् मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 27 माह 11 वर्ष 2025 को जारी किया गया ।

(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां

मुदई	रूपया	पैसे	मुदायला	रूपया	पैसे
स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील () खर्चा गवाह फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक			स्टाम्प अरजीदया स्टाम्प वकीलात नामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील () खर्चा गवाह फीस कमीशनर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुनफरिक		
मीजान			मीजान		



(अजीत सिंह राठौड़)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां